न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल ,
आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या — 37 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सायला,पंचायत समिति सायाल, जिला जालोर		1.मांगीलाल पुत्र छोगालालजी, जाति जैन,निवासी सायला, तहसील सायला, जिला जालोर 2.ग्राम पंचायत सायला, जरिए सरपंच, ग्राम पंचायत सायला

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत सायला,दिनांक 14.2.2013(पट्टा सं.2399)

उपस्थितिः—
1.श्री अशोककुमार माली , विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी सं.1, 2अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 28.2.2020

1. प्राथीा के निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी को कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति सायला द्वारा जरिए पत्र कमांक / पं.स.सा. / पंचायत / 2019 / 2070—71 दिनांक 12.2.2019 से बताया कि अप्रार्थी सं.1को भी जारी पट्टा ,जांच रिपोर्ट में नियम विरूद्ध पाया गया , निगरानी पेश करने की कार्यवाही करे,उक्त पट्टा कृषि से अकृषि भूमि परिवर्तन अम्बिका नगर,सायला में आवेदक ने भूमि होना बताया तथा प्रार्थनापत्र में भी कन्वर्शन सुदा भूमि का कब्जासुदा प्लॉट का पट्टा प्रार्थनापत्र में उल्लेखित कर आवेदन किया है ,अप्रार्थी सं.1 ने प्रार्थनापत्र में झूठे कथन अंकित कर ग्राम पंचायत सायला से फर्जी पट्टा जारी करवाया है, साथ ही कन्वर्शन आदेश की प्रति पेश की है, जिससे जाहिर हैं कि उक्त भूमि तहसीलदार द्वारा जरिए आदेश कमांक 1625 दिनांक 17.8. 2012 से रूपान्तरित की गई है, नियम 157(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत् पुश्तैनी आवासीय गृहो का विनियमितिकरण करने का प्रावधान है,जबकि उक्त पट्टा अप्रार्थी ने कन्वर्शनसुदा भूमि का प्राप्त किया है तथा पुश्तैनी को आधार माना है,रूपान्तरित भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नही किया जा सकता है, जो नियम विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। पत्रावली में दिनांक 5.1.2013 को आवेदन पत्र प्रस्तुत होना, दिनांक 3.1.13को आवेदन के विरूद्ध

उजरदारी प्रस्तुत करने का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया जो दिनांक 30.1.13 को जारी किया गया , दिनांक 11.2.13 को 260/–रूपये लेकर अप्रार्थी सं.1 के हक में पट्टा जारी किया गया जबकि आपत्ति इश्तिहार एवं उजरदारी प्रस्तुत करने माफिक नियम अवधि 30 दिन निर्धारित है। प्रार्थनापत्र में अप्रार्थी सं.1 ने अम्बिका नगर में प्लोट होना एवं उसका कन्वर्शन होना भी उल्लेखित किया है परन्तु प्रार्थनापत्र में आवेदन की तारीख अंकित नहीं की है तथा नाप में भी काट छांट की है,प्रारूप 23–क नियम 157 (1)राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत् पट्टा प्राप्त करने के लिए 50 वर्ष से अधिक का कब्जा व पुश्तैनी कब्जा तथा50 प्रतिशत निर्माण होना माफिक नियम है परन्तु मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार उक्त प्लोट को खाली बताया गया है तथा आपत्ति इश्तिहार में भी भूमि को खाली बताया है।उक्त पट्टे की जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट परिवादी अश्विनी राजपुरोहित द्वारा परिवाद दर्ज करवाये जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् जालोर द्वारा की गई है जिसमें भी उक्त पट्टे को नियम विरूद्ध माना है, उक्त पट्टे की जानकारी प्रार्थी को विकास अधिकारी, पंचायत समिति सायला द्वारा दिनांक 12.2.19 को पत्र जारी करने पर हुई,जिस पर प्रार्थी ने अन्दर म्याद प्रार्थनापत्र पेश किया है, अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं.1 के हक में जारी पट्टा सं.2399दिनांक 14.2.2013 को निरस्त करावे। प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र,फहरिस्त के साथ पट्टे की नकल आदि फोटो प्रमाणित प्रति पेश की, प्रार्थी ने दिनांक 25.3.20 को धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र व शपथपत्र पेश किया, इस पर निगरानी दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रिकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं.1,2 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित है।

2. प्रार्थी के वकील की एकतरफा बहस सुनी गई। अप्रार्थी ने निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि सरपंच ने कन्वर्शनसुदा भूमि का पट्टा जारी किया गया है जो नियम 157(1) के तहत् जारी किया गया है जबकि नियम 157(1) के तहत् 50 वर्षो से अधिक का कब्जा व 50 प्रतिशत निर्माण होने पर ही पट्टा जारी किया जा सकता है,मौका निरीक्षण रिपोर्ट में यह प्लोट खाली होना बताया है, आपति इश्तिहार की अवधि 30 दिन निर्धारित है जबकि आपत्ति इश्तिहार दिनांक 30.1.13 को जारी किया गया जबकि पट्टा दिनांक 14.2.2013 को जारी किया गया जो म्याद अवधि पूरी होने के पूर्व जारी किया गया है, अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी सं.1 को जारी पट्टा सं. 2399 दिनांक 14.2.13 खारिज करावे।

3. प्रार्थी के वकील की बहस पर मनन किया व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत् ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में स्थित पुराने गृहो को निर्धारित शुल्क जमा कर विधिक

प्रकिया अपनाते हुए पट्टा जारी किया जा सकता हैं। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम पंचायत सायला पट्टा संख्या 2399 दिनांक 14.2.2013 ,अप्रार्थी सं.1–श्री मांगीलाल पुत्र छोगालालजी,जाति जैन,निवासी सायला के पक्ष में 1191.67 वर्गगज एवं 10725 वर्गफुट का जारी किया गया है,अप्रार्थी सं.1 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत सायला को संबोधित प्रार्थनापत्र में ग्राम सायला की आबादी भूमि खसरा नम्बर 4022/1874 में स्थित प्लॉट का पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र में कन्वर्जनसुदा प्लॉट का पट्टा जारी करने का उल्लेख है, अप्रार्थी सं.1 द्वारा ग्राम सायला के खसरा नम्बर 4022/1874 क्षैत्रफल 2171 वर्गमीटर का तहसीलदार सायला के संपरिवर्तन आदेश कमांक/रेवेन्यू/12/1625 दिनांक 17.8.12 द्वारा संपरिवर्तन करवाया तथा उक्त आवासीय संपरिवर्तन भूमि का आबादी का पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996के तहत् जारी करने का आदेश दिया गया हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1)के तहत् ग्राम पंचायत सायला द्वारा आबादी भूमि में निर्धारित अवधि के पुराने गृहों का निर्धारित शुल्क लिया जाकर विधिक प्रकिया अपना कर पट्टा जारी करने का प्रावधान है।आवासीय संपरिवर्तन सुदा भूमि का पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत्जारी नहीं किया जा सकता हैं।

ग्राम पंचायत सायला द्वारा 157(1) में जारी पट्टे के सबंध में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के विधिक प्रावधानों की पालना नही कर अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में पट्टा सं. 2399 दिनांक 14.2.2013 जारी किया गया है जो खारिज योग्य है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर सरपंच, ग्राम पंचायत सायला द्वारा अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में जारी पट्टा सं. 2399 दिनांक 14.2.2013 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 28.2.2020 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर